अपनी बात...

नया संकल्प

सफेद चादर पर एक छोटा काला छींटा भी बहुत बड़ा दिखता है। न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर यह धारणा मजबूत की है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है यही कारण है कि आम आदमी आज भी हर जगह से निराश होने के बाद अंतिम आसरे के तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है।

न्यायतंत्र के लिए पिछला वर्ष भी कुछ ऐसा ही रहा उथल पुथल भरा। जहाँ एक ओर अयोध्या जैसे राष्ट्रीय एकता, अखण्डता से जुड़े साठ वर्ष पुराने मुकदमें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने अहम फैसला दिया वहीं उच्चतम न्यायालय की इस उच्च न्यायालय पर टिप्पणी ने इसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगाया और कार्य प्रणाली पर आत्मवलोकन, आत्ममंथन एवं सुधार पर विचार करने पर विवश किया है। न्यायतंत्र की ओर उठ रही उंगलियाँ यह संकेत दे रही हैं कि यह समय आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। जब हम बात तंत्र की करते हैं तो उसके सभी अंग उसमें शामिल रहते हैं इसलिए सवाल सिर्फ उच्च न्यायपालिका के न्यायमूर्ति, अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायधीशों/न्यायिक अधिकारियों उसके कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में से किसी एक या दो पक्ष का नहीं होता बल्कि पूरे न्यायतंत्र का होता है।

वक्त आ गया है कि हम स्वयं आत्म मंथन करें भूतकाल में की गयी गलतियों, भूलों से सबक लेकर वर्तमान में उसे सुधार कर भविष्य में एक गौरवशाली परंपरावाली न्यायपालिका के अधार स्तम्भ को मजबूती प्रदान करें।

एक प्रचलित अवधारणा के तहत ज्यादातर लोग यह कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं लेकिन हम इस अवधारणा से सहमत नहीं हैं। न्यायपालिका स्तम्भ नहीं बल्कि नीवं है, जब नीवं मजबूत होती है तभी स्तम्भ भी टिके रह सकते हैं और उन स्तम्भों के सहारे वाली अन्य चीजें जिनका आलम्ब वे स्तम्भ होते हैं। इस मंदिर का वजूद मुअक्किलों से है। न्यायमूर्तिगण एवं अधिवक्तागण इस नीव के मजबूत पत्थर हैं जबकि न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी इसके गारे हैं इसलिए हर वर्ग को अपनी अहमियत व जिम्मेदारी समझनी होगी।

न्यायालय को मंदिर और उसमें बैठकर न्याय करने वालों को धरती पर भगवान का दर्ज दिया गया है इसलिए न्यायपालिका की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति की गलती क्षम्य है परन्तु भगवान की नहीं, क्योंकि उससे गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारा यह दायित्व बनता है कि भगवान न सही एक अच्छे इमानदार इन्सान की भूमिका तो निभाएं, घपलों/घोटालों के इस दौर में न्यायपालिका से ही कुछ उम्मीदें बची हैं और अगर आज हम सब इन उम्मीदों पर खरे न उतरे तो इस देश को कोई बचा नहीं पायेगा।

न्याय एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समूह समाज तथा देश सभी का पक्ष देखा जाता है। न्यायप्रिय समाज की सत्ता की धुरी न्याय है यह धुरी जितनी मजबूत व गतिशील रहती है समाज उतना ही गतिमान एवं न्यायप्रिय होता है। न्यायपालिका इसी न्यायप्रियता को कायम करने बढ़ाने का कार्य करती है। आइये इस नव वर्ष में हम यह संकल्प लें कि न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए इसको इसकी वास्तविक गरिमा दिलायेंगें और विधायिका व कार्यपालिका के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गीता के इस उपदेश को चरितार्थ करेंगें—

''यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लार्निभवति भारत।
अभ्युत्थानम् अधर्मस्थ तद्ात्मानम् सृजाम्यहम्।।

विधि/ न्याय/ अन्याय से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए लिखें, बताएं हम आप की सहायता करेंगे।

संपर्क करें-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

संपादक : 'जजमेण्ट आजतक'

हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677

e-mail : judgementaajtak@yahoo.co.in

आत्म मंथन एवं सुधार

❍अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

बेंच बार इन्ट्रोस्पेक्शन एवं रिफार्म पर अवध बार एसोसिएशन ने सेमिनार का आयोजन उच्च न्यायालय प्रांगण के लान में किया।

भौतिकतावादी इस काल में चीजें बहुत तेज गति से बदलती हैं जो उनकी समीक्षा करके अपने को तैयार/ सुधार नहीं करता वह पीछे रह जाता है। सुधार, आत्म मंथन के बिना संभव नहीं है। सुधार हम तभी कर सकते हैं जब हमें यह पता हो कि हमने क्या सही किया क्या गलत।

इसे महज इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस सेमिनार की रूपरेखा तो पहले ही बनी थी लेकिन कार्यरूप उसने ऐसे समय में लिया जब उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के बारे में आयी और जिसमें यह उच्चतम न्यायालय का सुझाव आया कि यह अपनी कार्य प्रणाली को देखें।

अवध बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिवक्ता रमेश पाण्डेय ने सेमिनार का संचालन करते हुए इसमें भाग लेने वाले अधिवक्ताओं का स्वागत किया और थोड़ा विलम्ब से शुरू करते हुए बेंच की अनुपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया। इस मंच से बोलने वालों ने अपनी बेबाक टिप्पणियां दी जो यदि अमल में लायी जायं तो स्थितियों में आशानुरूप सुधार हो सकता है।

सेमिनार के प्रथम वक्ता के रूप में अधिवक्ता हिमांशु राघव (Introspection) आत्ममंथन का मतलब बताते हुए अपनी बेबाक राय दी। अगले वक्ता अधिवक्ता के.के. सिंह ने मजबूत बार की जरूरत पर जोर देते हुए बेंच की ईगो पर अपने विचार व्यक्त किये। अधिवक्ता सुदीप सेठ ने अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि सुधार की सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि उनको लागू भी कराया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुधार के लिए तीन मुख्य सुझाव दिए—पहला बेंच बार में इण्टरएक्शन, दूसरा उच्चतम न्यायालय की भांति यहाँ भी एडवोकेट आन रिकार्ड (AOR) सिस्टम तथा तीसरा बेंचेज द्वारा पेशेन्ट हियरिंग। अधिवक्ता राज विक्रम सिंह ने वकालत पेशे में आयी गिरावट की ओर ध्यान उत्कृष्ट करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों में हो रही मनमानी की चर्चा तथा उन पर अंकुश लगाने की जरुरत पर बल दिया। अधिवक्ता एस.पी. मौर्या ने गावं देहात से आने वाले अधिवक्ताओं की बात न सुने जाने तथा न्यायमूर्तियों द्वारा धैर्यपूर्वक उनकी बहस न सुनने की समस्या पर अपनी बात रखी।

अधिवक्ता आर्दश मेहरोत्रा ने आत्ममंथन के बारे में बोलते हुए पूरे सिस्टम में सुधार की बात कही। अधिवक्ता सी.बी. पाण्डेय ने सिस्टम को तीन व्हील वाली गाड़ी बताते हुए अगली व्हील न्यायापालिका को बताया जिसकी जिम्मेदारी बाकी दो को सही रास्ता दिखाने की है। वरिष्ठ अधिवक्ता देशरत्न सिन्हा ने बार एसोसिएशन एवं बार कौंसिल के चुनाव एवं उनकी भूमिका पर बोलते हुए कहा गंदे तालाब से साफ पानी नहीं आ सकता। अधिवक्ता वाई.एस. लोहित ने वकील समुदाय पर और कठिन प्रतिबंध वाले राष्ट्रपति के भाषण का उद्धरण दिया। उन्होंने **पालिका** बनाम **पालकी** का बहुत ही समसामयिक उदाहरण देकर अपनी बात को समझाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एल.पी. मिश्र ने अपने ओजस्वी उद्गार में श्री वे इन्ट्रोस्पेक्शन की बात करते हुए भूत, वर्तमान एवं भविष्य पर चिन्तन एवं अधिवक्ता यूनिटी को मजबूत करने का आवाहन किया। Once a Lawyer is always lawyer के मंत्र को बताते हुए कहा सामूहिक आत्ममंथन का गहन प्रभाव पड़ता है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपराधी तत्वों को पहचाने एवं उनको बाहर करें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नये अधिवक्ताओं को सलाह दी कि हर केस को कन्डक्ट करने के बाद आत्ममंथन करना चाहिए। इन्टेग्रिटी, आनेस्टी, फियरलेशनेश, एवं डेडीकेशन सफलता का मार्ग है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि फुलकोर्ट को जज को दण्डित करने के लिए आई. पी.सी. की धारा 219 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए या सामूहिक त्याग पत्र देना चाहिए। बेंच व बार न्याय रथ के दो पहिये हैं Mutual Faith and Trust.

नामित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.के. कालिया ने बेंच व अन्य नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की इस गोष्ठी में अनुपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे निराशाजनक बताया। श्री कालिया ने कहा सबसे महत्त्वपूर्ण है Excelence जो एक दिन में नहीं आती पहले Deserve करें तब Desire करें। सफलता के लिए केस को अच्छी तरह तैयार करके उतनी ही अच्छी तरह प्रजेन्ट करने का मंत्र देते हुए कहा integrity & Gentleness in Key to be heard. जजेज की नियुक्ति प्रक्रिया में छेद है इसे फुलफ्रूफ बनाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर अपनी राय व्यक्त करते हुए एक गंभीर प्रश्न उठाया "Why confined to High Court Allahabad only"? इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन वरष्ठि उपाध्यक्ष आई. पी.सिंह ने कहा सड़न की समस्या पुरानी है अब इस पर बोलने का साहस करना होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा "Entry Point of Judges be seen" देश की उच्च न्यायपालिका 187 परिवारों में कैद होकर रह गयी है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आर. एस. पाण्डेय ने इस बात पर जोर दिया कि यह न्यायपालिका जिसके लिए बनी है यानी Client हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अन्त में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष (मध्य) सुभाष विद्यार्थी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ❑

तीन करोड़ का जुर्माना

❍आनन्द गिरि, एडवोकेट

राजस्थान। जयपुर की एक निचली अदालत ने चेक अनादरण मामले में 'दी जनरल फाइवर डीलर्स प्राइवेट लि. कोलकाता' के दो निदेशकों को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने कम्पनी के निदेशक राजीव लोचन कनेरिया व जे. परानंदी को यह सजा सुनाते हुए इन पर तीन करोड़ रूपये का हर्जाना भी लगाया।

अदालत ने यह आदेश परिवादी फर्म मेसर्स आर.एस. बजाज टी कम्पनी जयपुर के रामस्वरूप बजाज के परिवाद पर सुनवाई के दौरान दिया। ❑